कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1826 /12–1 देहरादून:दिनांक: 22 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषयः–भारतमाला परियोजना "लॉट–4/पैकेज–2" के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में नजीबाबाद–कोटद्वार को कोटद्वार–पौड़ी सड़क से जोड़ने वाले एन0एच0–119 के कोटद्वार बाईपास के 4 लेन के निर्माण हेतु 1.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यार्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/157584/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जांना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग–2 के सभी बिन्दुओं की पूर्ण सूचना अंकित की जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रामण–पत्र में प्रस्तावित परियोजना राजाजी टाइगर रिजर्व एवं सोनानदी वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर होना अंकित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न किये जाने अपेक्षित हैं।
4. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–
   a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.
   b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड़ किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

1. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।
2. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।
3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटि के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये की वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
6. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।
8. वैकल्पिक/औचित्य– प्रयोक्ता एजेंसी मलबा निपटान के लिए वैकल्पिक साइट (केएमएल फ़ाइल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डंपिंग ज़ोन के लिए उचित औचित्य/टिप्पणियाँ देगी।
9. प्रयोक्ता एजेंसी. प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।
10. के0एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गांव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग रंगों से चिह्नित किया जाए।
11. प्रभागीय वनाधिकारी के एस0आई0आर0 में प्रस्ताव का विवरण शामिल नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी की एस0आई0आर संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ किया जाए।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-II के अतिरिक्त सूचना में अपलोड़ की जानी अपेक्षित है।
13. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि का चयन किया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम, के अन्तर्गत जारी, Rules, दिनांक 28 जून, 2022 के अनुसार राज्य सरकार की परियोजनाओं हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु non-forest land लिया जाना आवश्यक है।
14. प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
15. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जाएगी।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं, उनके निराकरण हेतु प्रस्ताव की सभी प्रतियां इस कार्यालय से वापिस प्राप्त कर लेवें एवं समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का का उत्तर Parivesh Portal पर पार्ट–। एवं पार्ट–।। में यथास्थान संशोधन करने के उपरान्त पार्ट–। एवं पार्ट–।। के अतिरिक्त सूचना (Additional Information) में प्रश्न–उत्तरवार/बिन्दुवार आख्या अपनी पूर्ण संस्तुति के साथ अपलोड़ करते हुये प्रकरण इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 1826 /12–1 तददिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :–वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण करवाते हुये सूचना अपनी संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. **प्रतिलिपि** :– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।